



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरणडा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : ०१ / यो०ब०-१७/२०२१- ७०।

दिनांक : ०५/१०/२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोड़रमा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका / मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर / साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज / गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा / सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला / चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण (ट्रैंच / झाड़ी धेरान के साथ) कार्य तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु रु० ५०४.४०९ (पाँच करोड़ चार लाख चालीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४ / यो०ब०-२१/२०१९-०९ / स्वी० व०प० दिनांक 20.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४ / यो०ब०जट-२१/२०१९-२७ / आ० व०प० दिनांक 22.09.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० ५०४.४०९ (पाँच करोड़ चार लाख चालीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	267.163
2	आपूर्ति एवं सामग्री	208.546
3	प्रशिक्षण व्यय	28.700
कुल योग :-		५०४.४०९

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस राशि से राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित विभागीय प्रक्रिया एवं प्रजातियों के अनुसार अपनी निजी भूमि पर करवाए गए (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रैखिक वनरोपण) वृक्षारोपण पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा।

3. प्रमंडलवार उप-आवंटित की जा रही राशि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी अनुलग्नक-1 पर पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुसार लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देय प्रोत्साहन राशि के लिए विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित कार्य दर अनुलग्नक-2(क) से 2(ग) पर संलग्न है एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर संलग्न है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों को कोषागार के माध्यम से DBT द्वारा उनके बैंक खाते/डाकघर खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा।

4. मुख्यमंत्री जन वन योजना के MIS application में व्यापक सुधार कराया गया है, जिसमें प्रत्येक लाभुक से संबंधित वांछित सूचनाओं को upload किये जाने एवं प्रभारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा उसे approve करने के उपरांत auto generated भुगतान पर्ची बनता है, उन्हीं भुगतान पर्ची के आधार पर भुगतान कोषागार के माध्यम से सीधे लाभुकों के खातों में किये जाए एवं मुख्यमंत्री जन वन योजना के Website पर upload किया जाए।

5. प्रोत्साहन राशि का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या-04/योबजट-79/2015/2005 दिनांक-14.05.2018 की कंडिका-6.6, 7.1, 7.2 एवं 7.4 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनात्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

12. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

13. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास निर्गत करेंगे। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट करायेंगे।

14. कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय तथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि। ऐसी योजना ग्रामीण विकास विभाग MGNREGA जोहार/JSLPS के तहत तथा कृषि, पशुपालन, मतस्य, सहकारिता विभाग NHM (हॉर्टिकल्चर के तहत), अनु0जन0अनु0जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी कार्यान्वित करता है। दोहरीकरण से बचने हेतु सभी Data Base Exchange किया जाय। स्थल निरीक्षण वन विभागीय पदाधिकारी/कर्मी करें तथा कोडिनेट के साथ योजना प्रारम्भ के पूर्ण तथा विभिन्न चरणों का व्यौरा record में संधारित हो।

15. दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा। यह कंडिका-14 के क्रम में काफी महत्वपूर्ण है।

16. विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंउम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

17. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021–22 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

18. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का व्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विषय पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका— VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

19. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

20. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

23. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

24. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

25. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

26. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—46—सह पठित ज्ञापांक—2393, दिनांक—14. 08.2020 द्वारा निर्गत निर्देश प्रभावी होगा।

27. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

28. राशि का उप—आवंटन इस शर्त के साथ की जा रही है कि नियंत्री पदाधिकारी एवं योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्यालय के पत्रांक—656 दिनांक 07.09.2021 द्वारा मांग की गई प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करोन के उपरांत ही राशि का नियमानुसार व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—17 / 2021—701 दिनांक— ०५/१०/२०२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग एवं पलामू/संथाल परगना, दुमका/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ दुमका/जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ दुमका/ जमशेदपुर/ चतरा एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—17 / 2021—701 दिनांक— ०५/१०/२०२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ डोरण्डा, राँची/ चाईबासा/ लातेहार/ हजारीबाग/ कोडरमा/ गढ़वा/ देवघर/ दुमका/ मेदिनीनगर/ साहेबगंज/ गोड्डा/ सरायकेला/ चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वयन की जानेवाली “मुख्यमंत्री जन वन योजना” (अन्य व्यय) अन्तर्गत नीजि भूमि पर कार्बन एवं फलदार प्रजाति के पौधों (कार्बन प्रजाति 445 एवं फलदार प्रजाति 160 पौधा प्रति एकड़ देंव घेरन के साथ) का दृक्षारेण हेतु प्रमंडलवार उप–आवार्टित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं	जिला का नाम	निकासी एवं व्यापन पदाधिकारी	फलदार प्रजाति के पौधे (राशि लाख में)			कार्बन प्रजाति के पौधे (राशि लाख में)			कुल योग (राशि लाख में)					
			भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	भौतिक लक्ष्य मजदूरी सामग्री	कुल (एकड़ में)	भौतिक लक्ष्य मजदूरी सामग्री	कुल (एकड़ में)	भौतिक लक्ष्य मजदूरी सामग्री	कुल (एकड़ में)	भौतिक लक्ष्य मजदूरी सामग्री	कुल (एकड़ में)	भौतिक लक्ष्य मजदूरी सामग्री	कुल (एकड़ में)	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xii	xiii	xiv	xv	xvi
1	सिंहासन	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,	20.00	2,989	2,053	5,042	10.00	0.957	0.906	1.863	0.250	30.00	3,946	2,959
2	गुमला	सिमडेगा	10.00	1,494	1,026	2,520	5.00	0.479	0.453	0.932	0.250	15.00	1,973	1,479
3	रोची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चैंची	15.00	2,242	1,540	3,782	15.00	1.436	1.360	2.796	0.500	30.00	3,678	2,900
4	पर्सियां	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,	5.00	0.747	0.513	1,260	0.79	0.076	0.072	0.148	0.250	5.79	0.823	0.585
5	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,	141.00	21,071	14,473	35,544	60.00	5,744	5,439	11,183	4.000	201.00	26,815	19,912
6	हजारीबाग	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,	40.00	5,977	4,106	10,083	10.00	0.957	0.906	1.863	0.500	50.00	6,934	5,012
7	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,	5.00	0.747	0.513	1,260	10.00	0.957	0.906	1.863	0.250	15.00	1,704	1,419
8	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	47.27	7,064	4,852	11,916	16.03	1.535	1.453	2.988	2.000	63.30	8,599	6,305
9	देवबहर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवबहर	2.00	0.299	0.205	0.504	1.85	0.177	0.168	0.345	0.100	3.85	0.476	0.373
10	दुङ्गा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुङ्गा	525.00	78,455	53,889	132,344	595.00	56,962	53,934	110,896	6,000	1120.00	135,417	107,823
11	जामातांज	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	40.00	5,978	4,106	10,084	50.00	4,787	4,532	9,319	3,000	90.00	10,765	8,638
12	पलामू	मोहिनीगर वन प्रमण्डल, मोहिनीगर	60.00	8,966	6,159	15,125	6.40	0.612	0.580	1.192	3,000	66.40	9,578	6,739
13	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	188.00	28,094	19,297	47,391	100.00	9,573	9,064	18,637	5,000	288.00	37,667	28,361
14	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	25.00	3,736	2,566	6,302	110.00	10,531	9,971	20,502	3,000	135.00	14,267	12,537
15	सरायकेला —खररांवा	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला —खररांवा	20.00	2,989	2,053	5,042	12.00	1,149	1,088	2,237	0.500	32.00	4,138	3,141
16	वाराणी	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	0.00	0.000	0.000	4.00	0.383	0.363	0.746	0.100	4.00	0.383	0.363	0.100
		कुल योग :-	1143.27	170.848	117.351	288.199	1006.07	96.315	91.195	187.510	28.700	2149.34	267.163	208.546
														504.409

अपर प्रधान मुख्य वन-संस्थान, विकास
शारीरिक, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 160 पौधे (फलदार / कलमी पौधे)


स्पेसिंग 5 मी. x 5 मी.

प्रजातियाँ:- कलमी आम, कटहल, अमरुद, ओँवला, बेल, लीची आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2021-22 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33							
1	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना @160 पौधे प्रति एकड़	एकड़	26.00	8094.58	0.00	8094.58	37.94	
2	पौधों का क्रय @60 रु० प्रति पौधा (परिवहन सहित) @160 पौधे प्रति एकड़ (5% अतिरिक्त पौधे का क्रय किया जाएगा)	एकड़	0.00	0.00	9600.00	9600.00	45.00	पौधे विमागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 45.00 रु० प्रति पौधा या वास्तविक दर जो कम हो की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	24	7471.92	0.00	7471.92	35.02	
4	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	4.00	1245.32	0.00	1245.32	5.84	
5	पौधों की सुरक्षा			0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
	योग		54.00	16811.82	11200.00	28011.82	131.31	
ख	वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 358 (कुद्दि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए							
1	दो कोड़नी-निकौनी	एकड़	4.00	1432.00	0.00	1432.00	6.71	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	3.75	
3	पानी पटवन			0.00	1600.00	1600.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		4.00	1432.00	2400.00	3832.00	17.96	

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अम्युवित
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
ग	वित्तीय वर्ष 2023–24 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 412 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए							
1	दो कोडनी—निकौनी	एकड़	4.00	1648.00	0.00	1648.00	7.73	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	3.75	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.0	1236.00	0.00	1236.00	5.79	
	योग		7.0	2884.00	2400.00	5284.00	24.77	
	सकल योग		65.0	21127.82	16000.00	37127.82	174.04	

अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास,
जारखण्ड, राँची



वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : “मुख्यमंत्री जन वन योजना” (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)


स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. एवं मेड के किनारे 2 मी x 2 मी

प्रजातियाँ—शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अस्युकित
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2021–22 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33							
1	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 व्यू मी० 445 पौट प्रति एकड़ (संरेखन सहित)	एकड़	10.00	3113.30	0.00	3113.30	5.25	
2	पौधों का क्रय @20 रु० प्रति पौधा (परिवहन सहित)	एकड़	0.00	0.00	8900.00	8900.00	15.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था रखने पर 15.00 रु० प्रति पौधा की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	10.00	3113.30	0.00	3113.30	5.25	
4	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	11.00	3424.63	0.00	3424.63	5.77	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	700.00	700.00	1.18	
	योग		31.00	9651.23	9600.00	19251.23	32.46	
ख	वित्तीय वर्ष 2022–23 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 358 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.00	2148.00	0.00	2148.00	3.62	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ उरिया, जैविक कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		6.00	2148.00	4800.45	6948.45	11.71	
ग	वित्तीय वर्ष 2023–24 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 412 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.00	2472.00	0.00	2472.00	4.17	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.00	1236.00	0.00	1236.00	2.08	
	योग		9.00	3708.00	4800.45	8508.45	14.34	
	सकल योग		46.00	15507.23	19200.90	34708.13	58.51	

अपर प्रधान मुख्य वन प्रबंधक, विकास,
झारखण्ड, राँची



वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन् योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़

445 पौधों (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में)

160 पौधे (फलदार प्रजातियों का वनरोपण)

फलदार प्राजाति हेतु स्पेसिंग 5मी० x 5मी०

311.33 प्रति मानव दिवस

काष्ठ प्राजाति हेतु स्पेसिंग 3मी० x 3मी० एवं मेड के
किनारे 2 मी० x 2 मी०

फलदार प्रजातियाँ— कलमी आम, कटहल, अमरुद,
आँवला, बेल, लीची, आदि

काष्ठ प्रजातियाँ— शीसम, सायावान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल,
यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय राशि	
							काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति
1	2	3	4	6	5	7		9
क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)								
1	मशीन द्वारा ट्रैंच खुदाई इंजिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन	2.5 चेन प्रति एकड़	5.00	1556.65	4909.48	6466.13	10.90	30.31
2	झाड़ी धेरान (2.5 X 6 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन)	2.5 चेन प्रति एकड़	15.00	4669.95	62.50	4732.45	7.98	22.18
3	पत्थर धेरान (2.5 X 25 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन)	2.5 चेन प्रति एकड़	62.50	19458.13	0.00	19458.13	32.79	91.21

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

मैं व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

पत्र संख्या - 01/YB-17/2021/701

दिनांक -

04-Oct-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50136	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	591,900.00 रुपये पॉच लाख इनकानवे हजार नौ सौ
			03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50139	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	367,800.00 रुपये तीन लाख सङ्गठ हजार आठ सौ
			03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50142	SGHFOR001 NITISH KUMAR (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	82,300.00 रुपये बयासी हजार तीन सौ
			03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०८

रुपये दस लाख बयालीस हजार

1,042,000.00

क्रमिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)

SANOU

Page 1 of 14

Run Date: 4/10/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50146	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR	रुपये छब्बीस लाख इक्कीसाँही हजार पैंच सौ
5	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50148	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	रुपये छ: लाख तिरनावे हजार चार सौ
6	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50149	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERMA	रुपये एक लाख सत्तर हजार चार सौ
<p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p> <p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p> <p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p>				
<p>योगः: _____ 3,545,300.00 क्रमिक योगः: _____ 4,587,300.00</p> <p>(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND</p>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50150	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	859,900.00 रुपये आठ लाख उनसठ हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50151	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	47,600.00 रुपये सैतालीस हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50155	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	14,618,200.00 रुपये एक करोड छ्यालीस लाख अलारह हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये दो करोड एक लाख तेरह हजार

15,525,700.00

क्रमिक योगः

20,113,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDI PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50156	PLMFOR070 AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदूरी	957,800.00 रुपये नौ लाख सत्तावन हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50157	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	3,766,700.00 रुपये सैतीस लाख छाँठ हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50158	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	1,426,700.00 रुपये चौदह लाख छब्बीस हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			


योगः

रुपये दो करोड बासठ लाख चौसठ हजार दो सौ

6,151,200.00

क्रमिक योगः

26,264,200.00


 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL PCCE/JEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50159	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदूरी	413,800.00 रुपये चार लाख तेरह हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110255010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	50161	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	38,300.00 रुपये अड़तीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50167	SDGAIFF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	443,800.00 रुपये चार लाख तीरयालीस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड इकहत्तर लाख साहठ हजार एक सौ

895,900.00

क्रमिक योग:


 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL PCCE DEV JHARKHAND

27,160,100.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50170	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	290,000.00 रुपये दो लाख नब्बे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50172	SGHFOR001 NITISH KUMAR (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58,500.00 रुपये अठावन हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50176	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,991,200.00 रुपये उन्नीस लाख इनकानवे हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड चौरानवे लाख निन्नानवे हजार आठ सौ

2,339,700.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

29,499,800.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50177	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	501,200.00 रुपये पाँच लाख एक हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50179	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	141,900.00 रुपये एक लाख इकतालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50182	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	630,500.00 रुपये छ: लाख तीस हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः:

रुपये तीन करोड़ सात लाख तीहत्तर हजार चार सौ

1,273,600.00

क्रमिक योगः:

30,773,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDI PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50184	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	37,300.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50204	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	11,646,100.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50205	PLMFOR070 AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	673,900.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये चार करोड इकतीस लाख तीस हजार सात सौ

12,357,300.00

क्रमिक योगः

43,130,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEPT JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50207	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,836,100.00 रुपये अठाइस लाख छहतीस हजार एक सौ
26	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50209	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,253,700.00 रुपये बारह लाख तीरपन हजार सात सौ
27	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50211	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	314,100.00 रुपये तीन लाख चौदह हजार एक सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः रुपये चार करोड़ पचाहत्तर लाख चौतीस हजार छ: सौ 4,403,900.00				
क्रमिक योगः रुपये चार करोड़ पचाहत्तर लाख चौतीस हजार छ: सौ 47,534,600.00				
(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND RANCH				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110255010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50213	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	36,300.00 रुपये छत्तीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50217	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 35 - प्रशिक्षण व्यय	50,000.00 रुपये पचास हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50218	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 35 - प्रशिक्षण व्यय	50,000.00 रुपये पचास हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये चार करोड छहत्तर लाख सत्तर हजार नौ सौ

136,300.00

क्रमिक योग:
(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

47,670,900.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50219	SGHFOR001 NITISH KUMAR (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	रुपये पच्चीस हजार 
			35 - प्रशिक्षण व्यय	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50220	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF	रुपये चार लाख 
			35 - प्रशिक्षण व्यय	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50221	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	रुपये पचास हजार 
			35 - प्रशिक्षण व्यय	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

ਰੂਪਧੇ ਚਾਰ ਕਰੋਡ ਇਕਉਧਾਸੀ ਲਾਖ ਪੈਸ਼ਾਲੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ

475,000.00

कामिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)
DDI PCCE DEV JHARKHAND

48,145,900.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50222	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERMA 35 - प्रशिक्षण व्यय	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50224	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 35 - प्रशिक्षण व्यय	200,000.00 रुपये दो लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50226	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 35 - प्रशिक्षण व्यय	10,000.00 रुपये दस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये चार करोड तिरयासी लाख अस्सी हजार नौ सौ

235,000.00

क्रमिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCF DEO JHARKHAND

48,380,900.00

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50229	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 35 - प्रशिक्षण व्यय	900,000.00 रुपये नौ लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
38	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50232	PLMFOR070 AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 35 - प्रशिक्षण व्यय	300,000.00 रुपये तीन लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
39	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50233	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 35 - प्रशिक्षण व्यय	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			


योगः

रुपये पाँच करोड अस्सी हजार नौ सौ

1,700,000.00

क्रमिक योगः

50,080,900.00


 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL PCCE DEPT JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50234	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 35 - प्रशिक्षण व्यय	300,000.00 रुपये तीन लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
41	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50235	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 35 - प्रशिक्षण व्यय	50,000.00 रुपये पचास हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
42	S 19 24060110255010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01-मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	50237	CTRFOR002 R. THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 35 - प्रशिक्षण व्यय	10,000.00 रुपये दस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये पाँच करोड़ चार लाख चालीस हजार नौ सौ

360,000.00

क्रमिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)
ADDI PCCE DPP JHARKHAND

50,440,900.00